

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 493/21 (वाद)

**GCMS NO: 2021/1**

1. श्री हरजी पिता श्री खाना मीणा, निवासी-भाटीया, लकु का लेवा, तहसील-कानोड जिला- उदयपुर राज

**बनाम**

वादी

1. श्री ऊकारलाल पिता श्री मांगु भील, निवासी- वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
2. श्रीमती गीताबाई पिता श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
3. श्रीमती वरदीबाई पिता श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
4. श्रीमती भगुबाई पत्नी श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
5. श्री वावळ पिता श्री प्यारा भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
6. श्रीमती मु भूरी पत्नी श्री प्यारा भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
7. श्रीमती भवरी पिता श्री नाना भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
8. श्री जमनालाल पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
9. श्री किशन पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
10. श्री रमेश पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
11. श्रीमती कवन पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
12. श्रीमती मु मांहीनी पत्नी श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
13. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री गुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता वादी।

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

—: निर्णय: —

दिनांक : 15.04.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रुपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जाये। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी भूअभि. निरीक्षक धी. बडगाँव तहसील भीण्डर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हरजी पुत्र खाना मीणा सा.भाटिया लकु का लेवा खातेदार	428/1	0.13	वा. प्र.	1.17
	<b>योग</b>	<b>किता 1</b>	<b>0.13</b>	<b>-</b>	<b>1.17</b>
2	ऊंकारलाल, गीताबाई, वरदीबाई पि. मांगु, भगुबाई पत्नी	428 मी	0.03	वा. प्र.	0.27
	मांगु 1/6, वावुलाल पि. प्यारा, भूरी पत्नी प्यारा 1/3,	429	0.16	वा. प्र.	1.44
	नानालाल पि. तुलसा 1/2 भील सा.देह खातेदार	2361	0.07	वी. प्र.	0.21
	<b>योग</b>	<b>किता 3</b>	<b>0.26</b>	<b>-</b>	<b>1.92</b>

डिक्री पचा जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 5 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 493/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/1

अनवान

- 1 श्री हरजी पिता श्री खाना मीणा, निवासी-भाटिया, लकु का लेवा, तहसील-कानाड जिला- उदयपुर राज

.....वादी

बनाम

1. श्री ऊंकारलाल पिता श्री मांगु भील, निवासी- वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
2. श्रीमती गीताबाई पिता श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
3. श्रीमती वरदीबाई पिता श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
4. श्रीमती भगुबाई पत्नी श्री मांगु भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
5. श्री वावू पिता श्री प्यारा भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
6. श्रीमती मु भूरी पत्नी श्री प्यारा भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
7. श्रीमती भद्रेश पिता श्री नाना भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
8. श्री जमनालाल पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
9. श्री किशन पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
10. श्री रमेश पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती माहनी भील,
11. श्रीमती कंचन पिता श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
12. श्रीमती मु माहनी पत्नी श्री लालुराम भील, निवासी-वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज
13. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.04.2024 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी भू.अभि. निरीक्षक क्षै. बडगाँव तहसील भीण्डर की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	हरजी पुत्र खाना मीणा सा.भाटिया लकु का लेवा खातेदार	428/1	0.13	वा. प्र.	1.17
	योग	किता 1	0.13	-	1.17
2	ऊंकारलाल, गीताबाई, वरदीबाई पि. मांगु, भगुबाई पत्नी मांगु	428 मी	0.03	वा. प्र.	0.27
	1/6, वावुलाल पि. प्यारा, भूरी पत्नी प्यारा 1/3, नानालाल	429	0.16	वा. प्र.	1.44
	पि. तुलसा 1/2 भील सा.देह खातेदार	2361	0.07	वी. प्र.	0.21
	योग	किता 3	0.26	-	1.92

नाट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।